

MA-I (Sem-I & Sem-2)

पात्रता

1. अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा विधिमान्य विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक में न्यूनतम सी.जी.पी.ए. 4 होना अनिवार्य है।
2. प्रवेश हेतु अर्हता वर्ष-2025 (स्नातक उत्तीर्ण वर्ष) से पूर्व अधिकतम 2 वर्ष का अकादमिक गैप उपयुक्त साक्ष्यों एवं शपथपत्र के अधीन अनुमन्य होगा। उक्त की स्थिति में प्रति गैप वर्ष के लिए 0.1 सीजीपीए की कमी के साथ मेरिट कट-आफ में स्थान अनुमन्य होगा।
3. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अकादमिक गैप की श्रेणी में नहीं आयेगें इनके लिए अर्हता वर्ष-2023 होगा।
4. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा के साथ किसी विषय से परास्नातक है तो द्वितीय विषय से परास्नातक में प्रवेश हेतु आवेदन लिए अर्हता वर्ष-2021 होगा।
5. त्रिवर्षीय बी0ए0 उत्तीर्ण छात्र केवल तृतीय वर्ष के विषय से ही एम0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप बी0ए0 के विद्यार्थी अपने तृतीय मेजर विषय या अन्य विषय में भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे प्रवेश, विषय की पूर्व अनिवार्यता के आधार पर ही अनुमन्य होंगे।
6. वार्षिक पाठ्यक्रम में यदि अंग्रेजी भाषा/हिन्दी भाषा विषय स्नातक तृतीय वर्ष में हों तो अभ्यर्थी एम0ए0 अंग्रेजी/हिन्दी में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
7. बी0एस-सी0 उत्तीर्ण छात्र भी एम0ए0 में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे प्रवेश, विषय की पूर्व अनिवार्यता के आधार पर ही अनुमन्य होंगे। जिस हेतु स्नातक में न्यूनतम सी.जी.पी.ए. 4 होना अनिवार्य है।
8. बी0काम0 एवं बी0बी0ए0 उत्तीर्ण विद्यार्थी अप्रायोगिक विषयों से एम0ए0 में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु प्रायोगिक विषयों से एम0ए0 में प्रवेश, विषय की पूर्व अनिवार्यता के आधार पर ही अनुमन्य होंगे। जिस हेतु स्नातक में न्यूनतम सी.जी.पी.ए. 4 होना अनिवार्य है।

M.Sc.-I (Sem-I & Sem-2)

पात्रता

1. अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा विधिमान्य विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक में न्यूनतम सी. जी.पी.ए. 4 होना अनिवार्य है।
2. प्रवेश हेतु अर्हता वर्ष-2025 (स्नातक उत्तीर्ण वर्ष) से पूर्व अधिकतम 2 वर्ष का अकादमिक गैप उपयुक्त साक्ष्यों एवं शपथपत्र के अधीन अनुमन्य होगा। उक्त की स्थिति में प्रति गैप वर्ष के लिए 0.1 सीजीपीए की कमी के साथ मेरिट कट-आफ में स्थान अनुमन्य होगा।
3. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अकादमिक गैप की श्रेणी में नहीं आयेगें इनके लिए अर्हता वर्ष-2023 होगा।
4. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा के साथ किसी विषय से परास्नातक है तो द्वितीय विषय से परास्नातक में प्रवेश हेतु आवेदन लिए अर्हता वर्ष-2021 होगा।
5. बी0एस-सी0 उत्तीर्ण छात्र केवल तृतीय वर्ष के विषय से ही एम0एस-सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।

M.Com-I (Sem-I & Sem-2)

पात्रता

1. अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा विधिमान्य विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक में न्यूनतम सी. जी.पी.ए. 4 होना अनिवार्य है।
2. प्रवेश हेतु अर्हता वर्ष-2025 (स्नातक उत्तीर्ण वर्ष) से पूर्व अधिकतम 2 वर्ष का अकादमिक गैप उपयुक्त साक्ष्यों एवं शपथपत्र के अधीन अनुमन्य होगा। उक्त की स्थिति में प्रति गैप वर्ष के लिए 0.1 सीजीपीए की कमी के साथ मेरिट कट-आफ में स्थान अनुमन्य होगा।
3. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अकादमिक गैप की श्रेणी में नहीं आयेगें इनके लिए अर्हता वर्ष-2023 होगा।
4. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा के साथ किसी विषय से परास्नातक है तो द्वितीय विषय से परास्नातक में प्रवेश हेतु आवेदन लिए अर्हता वर्ष-2021 होगा।
5. बी0काम0 एवं बी0बी0ए0 उत्तीर्ण छात्र ही एम0काम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।